गुरमीत सिंह कुनर
राज्यमंत्री
कृषि विपणन (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन,
जन.स्वा. अभियांत्रिकी, इंगानप,
भू-जल एवं सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग

सत्यमेव जयते

दूरभाष नं. 0141-2227382 (का)

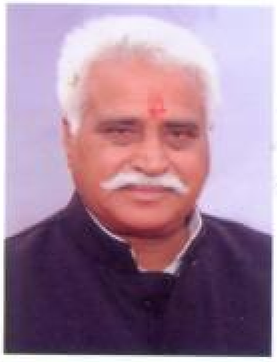

प्राक्कथन

कृषि विपणन विभाग राजस्थान द्वारा शासन की कार्य प्रणाली को संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने हेतु कृषकों, व्यापारियों व आम नागरिकों को कृषि विपणन से सम्बन्धित सूचनायें पाने के अधिकार के तहत यह नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है ।

इस नागरिक अधिकार पत्र में कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाना, मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय, कृषकों को मण्डी प्रांगण में देय सुविधा, दैनिक भाव की जानकारी, मण्डी प्रांगण का उपयोग, सम्पर्क सड़कों, मण्डी समिति में दुकान आवंटन आदि का समावेश कर आम नागरिकों/कृषकों के लिये सूचनायें प्राप्त करने तथा कृषि उपज मण्डी समितियों एवं विभाग की कार्य प्रणाली जानने का सुअवसर मिला है ।

मैं आशा करता हूँ कि इस नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से कृषि उपज मण्डी समितियों व विपणन विभाग की कार्य प्रणाली को एवं जानकारी का उपयोग करने का लाभ कृषकों एवं आम जनता को मिल सकेगा ।

(गुरमीत सिंह कुनर)

S. Ahmad
Additional Chief Secretary

2018, Secretariat, Jaipur-302005 (Raj.),
Ph.: (Off) 2227400, (Resi.) 2700606,
Fax : 0141-5103626

Department of Agriculture & Horticulture
Government of Rajasthan

प्रस्तावना

भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि का विकास होता है तो उसके साथ-साथ ग्रामीण विकास होना भी सुनिश्चित है।

हमारे प्रयास हैं कि कृषिगत पदार्थो की बिकी का पूर्ण लाभ उन लोगों को मिले जो वास्तव में उसके हकदार है, यानि कि कृषकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं एवं कृषि पदार्थ के केताओं को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुऐं उपलब्ध हो सकें।

इन लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विपणन विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।

नागरिक अधिकार पत्र की विभिन्न स्तरों पर कियान्वति सुनिश्चित करने हेतु विभाग के सभी क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों के सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पाबन्द है।

(एस. अहमद)

कृषि विपणन विभाग, राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

उद्धेश्य

- कृषकों को उपज का उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलवाना ।
- अवैध कटौतियों से कृषकों को मुक्त कराना ।
- कृषकों को उपभोक्ता द्वारा देय मूल्य में से अधिक से अधिक हिस्सा दिलवाना ।
- उपभोक्ता को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता करना ।
- कृषि जिन्सों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए आधारभूत ढांचे की संरचना एवं सम्पर्क सडकों द्वारा गांव एवं शहरों को जोडना ।
- मण्डी प्रांगणों का कृषकों की सुविधानुसार विकास करना ।
- विशिष्ट मण्डियां विकसित करना।
- कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन में मदद ।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण

मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों/आदानों के कय–विकय की सुविधा

1. मण्डी यार्ड में खुली बोली के द्वारा जिन्स विकय किया जाता है।
2. माल को कांटे तक रखने के अलावा अन्य किसी प्रकार का खर्चा विकेता किसान से वसूल नहीं किया जाता है।
3. अधिकृत आढतिया/व्यापारी किसानों के कृषि जिन्स खुली निलामी/उचित विधि द्वारा कय कर सकता है।
4. उपभोक्ता कृषि जिन्स सीधे कृषक से कय कर सकता है। जिस पर मण्डी शुल्क देय नहीं होता है।
5. आढतिया/व्यापारी/पल्लेदार आदि कृषि उपज मण्डी समिति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यापार कार्य कर सकते है एवं व्यापार से सम्बन्धित अन्य कियाओं में भाग ले सकते है।

कृषि विपणन की नियमन व्यवस्था

1. मण्डी प्रांगण में उपलब्ध पक्के नीलामी चबूतरे पर कृषक अपना माल केता को खुली नीलामी पर बेच सकता है,अर्थात नीलामी चबूतरे का उपयोग कृषकों द्वारा किया जाता है।
2. कृषि उपज के बेचान के उपरान्त विकय पर्ची एवं अमानत पर रखी कृषि जिन्स की अमानत पर्ची कृषक को दी जाती है।

3. कृषि जिन्स के विक्रय के पश्चात विक्रय राशि का भुगतान कृषक को उसी दिन दिया जाता है।

मण्डी प्रांगण में सुविधाएं

1. कृषक मण्डी समितियों में बने कृषक विश्राम गृह एवं किसान भवन की सुविधा का उपयोग कर सकता है।
2. कृषक मण्डी यार्ड में बने कैटल शेड,छायादार वृक्ष व पेयजल व्यवस्था का उपयोग अपने स्वयं एवं पशु के लिए कर सकता है।
3. जलपान हेतु कियोस्क/केन्टीन व पीने के पानी के लिये प्याऊ की व्यवस्था मण्डी यार्ड में कृषक व्यापारी व उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है।

कृषकों/व्यापारियों/उपभोक्ताओं को कृषि जिन्सों के दैनिक भावों की जानकारी की सुविधा

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले,व्यापारियों को माल क्रय–विक्रय में भाव की जानकारी हो तथा उपभोक्ता उचित दर पर माल क्रय कर सके,इसके लिए विभाग की परिज्ञान शाखा एवं मण्डी समिति से दैनिक भाव तथा साप्ताहिक परिज्ञान की सूचना प्रदर्शित की जाती है।

संविदा खेती

फलों, सब्जियों, ओंषधीयों वनस्पितियों या सुगन्धित वनस्पितियों की संविदा कृषि क्रेता उस मण्डी समिति का जिसके क्षेत्र में वह संविदा कृषि का करार करना चाहता है, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर करार कर सकेगा।

संविदा करार एक मौसम या एक वर्ष के लिए हो सकेगा,किन्तु 5 वर्षों से अधिक के लिए नहीं होगा। दीर्घावधि वृक्ष फसल की दशा में परस्पर तय की गई कालावधि के लिए हो सकेगा।

एकल अनुज्ञापत्र

एक मण्डी से अधिक मण्डीयों में व्यवसाय करने हेतु एकल अनुज्ञापत्र की सुविधा उपलब्ध है।

वैकल्पिक बाजार – सब ई–मार्केट

कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो, इस हेतु सब ई–मार्केट की व्यवस्था की गई है जिससे कृषको को इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म के रूप में वैकल्पिक बाजार उपलब्ध हो सकेगा। यह किसानों, प्रोसेसर, कारोबारियों के लिए एक वैकल्पिक बाजार होगा । जहॉ वे अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेच सकेगें । इस बाजार में विभिन्न कृषि जिन्सों के हाजिर सौदे होगे । इनमे वायदे सौदे अर्थात फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी । प्राईवेट ई–सब मार्केट ऑन लाइन स्कीन आधारित व्यवसाय की सुविधा उपलब्ध करवायेगा । वी सेट, लीज्ड लाईन या इन्टरनेट के जरिये इससे जुडा जा सकेगा । व्यवसाय के इन सौदों की डिलीवरी अनिवार्य होगी । प्राईवेट सब ई–मार्केट में देशभर के प्रोसेसर, कारोबारी प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बिना किसी बिचौलिया के बिना गुणवत्ता जोखिम के कृषि उत्पादों का कय–विकय होगा । इस बाजार की एक खास बात यह होगी कि इसमें कृषि उत्पादों की बाकायदा ग्रेडिंग व मानकीकरण होगा । कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग एंव मानकीकरण के मापदण्ड निदेशक, कृषि विपणन द्वारा निर्धारित किये जावेगे । यहा किसानों और व्यापारियों को वेयर हाउस रसीद पर ऋण भी सुलभ हो सकेगा । नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि कृषक को उसकी उपज का भुगतान विकय दिवस को ही हो । कृषक को उसकी उपज का भुगतान विकय दिवस को ही न होने पर उसे 5 दिवस तक एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज के साथ भुगतान हो सकेगा ।

मंडी प्रांगणों में दुकान/भूखण्ड आवंटन

- मंडी प्रांगणों में भूखण्ड/दुकान आवंटन हेतु आवंटन नीति दिनांक 25.4.2005 से प्रभावी।
- प्रथम चरण में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान– भूखण्ड अहस्तान्तरणीय।
- द्वितीय व अग्रिम चरणों का आवंटन डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत दर पर।
- आवंटन 99 वर्षीय लीज पर, आवंटित दुकान/भूखण्ड की छत का अधिकार आवंटी का होगा।
- कुल उपलब्ध फुटकर दुकानों/भूखण्डों में से 30 प्रतिशत अनु.जाति/जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान।
- पूर्व में किराये पर दी हुई दुकानों को लीज में परिवर्तन का प्रावधान।
- मासिक किराये पर आवंटित दुकान को लीज में परिवर्तन कराये जाने पर निर्माण लागत में भूमि की कीमत दिनांक 1.4.2007 को प्रभावी डी.एल.सी. दर का 25 प्रतिशत शामिल करते हुए परिवर्तन कराये जाने का प्रावधान है।
- मासिक किराये पर आवंटित दुकान को लीज में परिवर्तन नहीं कराये जाने पर देय किराये में दिनांक 1.4.2008 से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढोतरी का प्रावधान।
- मंडी यार्डों में उपलब्ध दुकानों/भूखण्डों में से 20% दुकान/भूखण्ड महिला कृषक को आवंटन हेतु आरक्षित इनमें से 30% अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आवंटन का प्रावधान।
- जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में लॉटरी प्रक्रिया से डी.एल.सी. की 50% दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान/ कुल उपलब्ध भूखण्डों में से 25% भूखण्ड कृषि जिन्सों के निर्यातकों, राज्य से बाहर के व्यवसाई, जिन्स विशिष्ठ की मूल्य संबंधी औधोगिक ईकाई व उत्पादों के सीधे निर्यातकों हेतु भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान
- कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित औधोगिक इकाई, पेट्रोल पम्प व बड़े कृषि संबंधी व्यावसायिक शोरुम के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान
- मण्डी की चारदिवारी पर गैर विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक भूखण्डों का निलामी द्वारा निस्तारण का प्रावधान

मंडी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण

राज्य के कृषकों को अपनी कृषि उपज मंडी यार्ड तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सड़क नीति के अनुसार मंडी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। मंडी समितियों की कुल आय में से मंडी समिति के संस्थापन एवं प्रशासनिक व्यय, एवं अन्य अपरिहार्य दायित्वों के निर्वहन के पश्चात शेष अधिशेष रही राशि में से 60% नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण/संधारण पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस राशि का 70% राशि सड़क नीति में सामान्य कोष हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तथा शेष 30% मंडी समिति के स्वयं के विवेकानुसार नवीन सम्पर्क सड़कों/मरम्मत पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है। शेष राशि मंडी प्रांगणों के विकास एवं मरम्मत/पुनरुद्धार पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है। नवीन मंडी प्रांगणों के विकास की परियोजना क्रियान्विति करने पर यार्ड के कार्यों के लिए अधिक राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। सी एवं डी श्रेणी की कमजोर आर्थिक स्थिति वाली मंडी समितियों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण/मरम्मत कृषि विपणन बोर्ड के पास उपलब्ध मंडी विकास निधि से कराये जाने का प्रावधान है।

<u>आपणी रसोई योजना</u>

राज्य की विशिष्ठ एंव ''अ'' श्रेणी की मण्डियों मे आने वाले कृषकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु '' आपणी रसोई योजना – 2009 '' लागू की गयी है । मण्डी प्रागंण में संचालित भोजनालय से रियायती दर पर भोजन थाली उपलब्ध करायी जायेगी । जिसकी अधिकतम राशि 8/रू. होगी । उक्त भोजन थाली में 6 चपाती (200 ग्राम आटा), 1 कटोरी दाल तथा सर्दियों में (अक्टूबर से मार्च) 25 ग्राम गुड एंव गर्मियों में (अप्रैल से सितम्बर) 200 मिली लीटर छाछ (उक्त मीनू में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा) उपलब्ध करायी जायेगी । भोजन के कूपन मण्डी गेट पर वाहन के प्रवेश करते समय दिये जायेगे । ट्रेक्टर व बडे वाहन पर 3 कूपन तथा बैलगाडी व जुगाड, जीप आदि छोटे वाहन पर 2 कूपन दिए जायेगे ।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना–2009

राज्य में कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंग–भंग होने पर ''**राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009**'' के अन्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि देय है ।

क.सं.	**सहायता राशि हेतु परिस्थिति**	**देय सहायता राशि (राशि रूपयों में)**
1	मृत्यु होने पर आश्रित को	100000/–
2	दो अंग, जैसे दोनो हाथ, दोनो पांव, दोनो आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	50000/–
3	रीढ की हड्डी टूटने , सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	40000/–
4	पुरुष अथवा महिला के सिर के केश(बालों) की डी–स्केलपिंग होने पर।	40000/–
5	पुरुष अथवा महिला के सिर के केश(बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केलपिंग होने पर।	25000/– रुपये
6	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25000/–
7	चार अंगूली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	15000/–
8	तीन अंगूली कट जाने पर	10000/–
9	दो अंगूली कट जाने पर	10000/–
10	एक अंगूली कट जाने पर	5000/–

3. विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों/कार्मिकों के नाम, टेलीफोन नम्बर तथा उनके द्वारा संपादित कार्यों का विवरण ।

क्र. सं.	अधिकारी	दूरभाष नं. कोड एवं पी.बी.एक्स. नं.		संपादित कार्यों का विवरण
1	निदेशक	0141	2227115	विभागाध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक	0141	2227835	कार्यालय अध्यक्ष
3	मुख्य लेखाधिकारी	0141	2227850	मंडी समितियों सहित वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के परीक्षण, तथा अंकेक्षण संबंधी कार्य।
4	संयुक्त निदेशक	0141	2227640	मंडी समितियों सहित विभाग से संबंधित नियमन एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन।
5	उप निदेशक (सर्वे.सतर्कता)	0141–2227365	353	मंडी शुल्क अपवंचन रोकथाम संबंधी कार्य
6	उप निदेशक (जांच)	0141–2227365	339	मंडी समितियों एवं विभागीय कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच।
7	सहायक निदेशक (प्रशासन)	0141–2227365	337	संस्थापन संबंधी कार्य
8	क्षेत्रीय उपनिदेशक, जयपुर	0141	2227043	खंड की अधीनस्थ मंडी समितियों पर नियंत्रण एवं मंडी शुल्क अपवंचन रोकथाम संबंधी कार्य
9	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, अजमेर	0145	2441891	उक्तानुसार
10	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, अलवर	0144	2372379	उक्तानुसार
11	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, बीकानेर	0151	2250939	उक्तानुसार
12	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, हनुमानगढ	01552	265441	उक्तानुसार
13	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जोधपुर	0291	2544078	उक्तानुसार
14	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कोटा	0744	2364022	उक्तानुसार
15	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सीकर	01572	245661	उक्तानुसार
16	क्षेत्रीय सहायक निदेशक,श्रीगंगानगर	0154	2471885	उक्तानुसार
17	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, उदयपुर	0294	2583254	उक्तानुसार

4. नागरिकों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रकिया एवं आवश्यक दस्तावेजों का विवरण एवं उन्हें प्राप्त तथा प्रस्तुत करने की प्रकिया व स्तर एवं सेवा प्रदान करने का शुल्क(यदि लागू हो) का विवरण तथा उसे उपलब्ध कराने की समयावधि का उल्लेख एवं प्रकिया।

(अ) अनुज्ञापत्र प्राप्त करना

	निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	विशेष विवरण
क वर्ग दलाल	200 / — रुपये	एक माह	मण्डी प्रांगण में दुकान / भूखण्ड उपलब्ध होने पर
व्यापारी	200 / — रुपये	एक माह	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
पल्लेदार	20 / — रुपये	एक माह	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
संयुक्त व्यापारी	300 / — रुपये	एक माह	मण्डी प्रांगण में दुकान / भूखंड उपलब्ध होने पर
सहकारी सोसायटी को सम्मिलित करते हुये कोई व्यक्ति निजी मंडी यार्ड या निजी उपभोक्ता कृषक मंडी की स्थापना हेतु आवेदन कर सकता है।	रु. 50000 / — (अंके पचास हजार रुपये मात्र) उस मंडी समिति को जिसके क्षेत्र में निजी मंडी यार्ड या निजी उपभोक्ता कृषक मंडी की स्थापना हेतु आवेदन किया जा रहा है।	विधिवत प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करने पर।	विधिवत निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर।

(ब) अभिलेखों की नकलें प्राप्त करना

अभिलेख प्रति प्राप्त करना	रुपये 2 / — प्रति पृष्ठ	तीन दिवस	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
निरीक्षण अभिलेख	रुपये 5 / —	तीन दिवस	,,

(स) राजीव गांधी कृषक साथी योजना

किसान जीवन कल्याण योजना में लाभान्वित करना	निशुल्क	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के एक माह में	दुर्घाटना होने से छः माह की अवधि में क्षेत्र की मंडी समिति में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर।

(द) कृषकों के ठहरने के लिए :—

(i) किसान भवन किराया विवरणिका

क्र. सं.	स्थान	शयन कक्ष	किराया	शयनागार	किराया	पता / दूरभाष
1.	जयपुर	17 कमरे (34 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	9 कमरे (54 व्यक्तियों की क्षमता सहित	50 / — प्रति व्यक्ति	लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर फोनः 2740097, प्रबन्धकः 9413387999
2.	उदयपुर	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	4 कमरे (24 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	कृ.उ. मंडी समिति, उदयपुर बांसवाड़ा रोड उदयपुर फोनः 2482811
3.	जोधपुर	18 कमरे (36 व्यक्तियों की क्षमता सहित) (माह जून 08 तक निर्माण कार्य पूर्ण	150 / — प्रतिदिन	12 कमरे (72 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	फल सब्जी मंडी, पावटा चौराहा, जोधपुर फोन : 2570633
4.	बीकानेर	10 कमरे 20 व्यक्तियों की क्षमता सहित) (माह जून 08 तक निर्माण कार्य पूर्ण)	150 / — प्रतिदिन	11 कमरे (62 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	ग्रेन मंडी, गंगानगर रोड, बीकानेर फोन : 2250986
5.	अजमेर	4 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	4 कमरे (23 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	सब्जी मंडी, ब्यावर रोड अजमेर फोनः 2683121 प्रबन्धक : 9413387065
6.	भरतपुर	10 कमरे (20 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	10 कमरे (40 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	कृ.उ. मंडी समिति, कुम्हेर रोड, भरतपुर फोनः 222675
7.	कोटा	5 कमरे (10 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	3 कमरे (48 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	भामाशाह मंडी, अनन्त पुरा, कोटा फोन : 2490025 प्रबन्धकः 9413387066

(ii) मण्डियों में ठहरने के लिए कृषक विश्राम गृह किराया विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	दर
1.	कृषक	2.00 रु. प्रति दिन
2.	मंडी समिति, कृषि विपणन निदेशालय एवं विपणन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी	10.00 रु. प्रति दिन
3.	अन्य	20.00 प्रति दिन

जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था

(अ) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत धारा 16 के तहत मंडी समिति द्वारा किसी लाईसेंस या उसके नवीनीकरण से इन्कार करने या किसी लाईसेंस को खारिज या स्थगित करने पर अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क एक रुपये के साथ निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

(ब) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रावधान 34(2) बी के तहत किसी भी भार, मूल्य, शुल्क, किराया या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों का उपविधियों के अधीन कोई मंडी समिति को देय किसी विवादित राशि में संबंधित व्यक्ति निर्धारित शुल्क एक रुपये के साथ निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(स) कृषकों द्वारा तुलाई, अवैध कटौती, मंडी प्रांगणों में उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं, विक्रय पर्ची एवं भुगतान आदि बाबत शिकायत बिना किसी शुल्क के मंडी सचिव

की उपलब्धता पर उसी दिवस को अन्यथा तीन दिवस में की जा सकती है जिसका निस्तारण एक सप्ताह में करना होगा ।

(द) किसी भी सेवा में कमी या अनियमितता के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी समिति, खंड स्तरीय क्षेत्रीय सहायक निदेशक या सीधे निदेशक, कृषि विपणन, पंत कृषि भवन, जयपुर को लिखित में तथ्यों से अवगत कराते हुये कार्यवाही की मांग कर सकता है जिसका निस्तारण तीस दिवस में करना होगा ।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करना

सूचना के लिए आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के नाम नियमानुसार रु. 10/- नकद या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के प्रस्तुत करें। विभाग में प्रांतीय स्तर पर निम्नलिखित अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी हैं।

(अ) कृषि विपणन निदेशालय में लोक सूचना अधिकारी निदेशक, कृषि विपणन विभाग जयपुर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी मुख्य विधि सहायक कृषि विपणन विभाग जयपुर है। अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर है।

(ब) अधिनस्थ क्षेत्रीय खण्डीय कार्यालयों में उप/सहायक निदेशक को लोक सूचना अधिकारी हैं उनके अपीलीय अधिकारी निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर हैं।

(स) प्रत्येक कृषि उपज मंडी समिति में सचिव, कृषि उपज मंडी समिति वहां के लोक सूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रशासक/अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति को अपीलीय अधिकारी हैं।

कृषकों/व्यापारियों/उपभोक्ताओं से अपेक्षाऐं

कृषक, व्यापारीगण एवं उपभोक्तागण मंडी प्रांगण को साफ–सुथरा रखने में सहयोग देवें, कृषि जिन्सों के क्रय–विक्रय संबंधी विभागीय नियमों का पूर्ण पालन करें एवं कोई भी कमी नजर आने पर तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचित करें। सभी पक्ष व्यापारिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता की जाती है तो मंडी प्रशासन को शीघ्र सूचित करना चाहिए।